न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 53/2021

अपीलान्ट्स

1. खेतू खां पुत्र श्री यासीन खां,
2. मल्ले खां पुत्र श्री यासीन खां,
3. मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री यासीन खां,
4. मोहम्मद रफीक पुत्र श्री यासीन खां,

जातियान मुसलमान, निवासीगण जालोर, तहसील व जिला जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट –

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर (राज.)

उपस्थितिः–

1. विद्वान अभिभाषक विक्रम सिंह राजपुरोहित। अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. विद्वान राजकीय अभिभाषक । रेस्पोडेण्ट की ओर से ।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

– निर्णय –

दिनांक – 14-09-2021

अपीलान्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 71/2021 में पारित निर्णय दिनांक 01/09/2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तबल किया गया, रेस्पोडेन्ट का सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुआ, जिस पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमों पेशकर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर के समक्ष दावा बाबत् घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत पेश किया गया था, जिसको माननीय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा केवल मात्र धारा 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत नोटिस नहीं दिये जाने के तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर अपीलान्ट्स/वादीगण का दावा अन्तिम रूप से निर्णित कर निर्णय व डिक्री के जरिये वाद को खारीज कर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर वादीगण/अपीलान्ट्स द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय न्याय नियमों के विपरित है एवं विधि की मंशा पर आधारित नहीं होने से काबिले खारीज है। आगे अपील मीमो में विस्तृत रूप से बताया कि मौजा जालोर ए के पुराने खसरा नम्बर 1773 किस्म गैर मुमकिन भाखर में तत्कालीन आवंटन अधिकारी तहसीलदार जालोर द्वारा अपीलान्ट्स पिता यासीन खान पुत्र रहीम खान को गरीब एवं भूमिहीन होने के कारण 06 बीघा भूमि दिनांक 06/05/1965 को काश्त हेतू आवंटित की थी एवं आगे लिखा कि वास्तव में अपीलान्ट्स के पिता यासीन खान का कब्जा पुराने खसरा नम्बर 1773 (भाखर) से लगता पुराने खसरा नम्बर 1771 की भूमि पर था लेकिन अपीलान्ट के पिता कम पढे लिखे होने एवं मौका रेकर्ड का ज्ञान नहीं होने के कारण आवंटन आवेदन पत्र में किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अन्य व्यक्ति द्वारा भरवाये जाने के कारण खसरा नम्बर भूलवश 1773 अंकित कर दिया। इन तथ्यों की पृष्टि हेतु पूर्व में कार्यालय भू–अभिलेख निरीक्षक जालोर द्वारा की गई मौका एवं रेकर्ड की जांच रिपोर्ट के फिकरा नम्बर 7 में वर्णित कथन से साफ–साफ साबित है। चूंकि पुराने खसरा नम्बर 1773 एवं 1771 बिल्कुल पास–पास स्थित होने से भूलवश खसरा नम्बर का गलत रूप से अंकन हो गया जबकि आवंटन आदेश में वर्णित पुराने खसरा नम्बर 1773 की किस्म भाखर (पहाड) है एवं ऐसी भूमि पर न तो काश्त करना संभव होता है एवं न ही नियमन अथवा आवंटन हो सकती है। इस प्रकार इन तथ्यों से भी यह पुख्ता साबित है कि आवंटी का कब्जा पुराने खसरा नम्बर 1771 में ही था इसके बावजूद भी मानवीय एवं तकनीकी भूल को दुरूस्त किये जाने के कानूनन प्रावधान होने के बावजूद भी अपीलान्टस् को रेकर्ड दुरूस्ती की कार्यवाही के पिछले लम्बे अर्से से परेशान होना पड रहा है। इस कारण आवंटित सुदा भूमि को वर्तमान में कब्जे अनुसार मर्ज करवाकर दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अपील मीमों में आगे वर्णित किया कि सम्पूर्ण राज्य स्तर पर तत्कालीन समय में ऐसे विसंगति वाले प्रकरण बहुतायत मात्रा में होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व ग्रुप के माध्यम से परिपत्र संख्या 33/राज./4/26 दिनांक 20.12.1987 को जारी किया था एवं उक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश दिये थे कि ऐसे आवंटन जिसमें वास्तविक कब्जे एवं आवंटन आदेश के खसरा नम्बर में भूलवश गलत अंकन दर्ज हो गया है जिस कारण कब्जा धारक को अनावश्यक परेशानियां हो रही है तो उक्त भूमि को वास्तविक कब्जे वाले स्थान की भूमि में समायोजित कर निर्देश प्रदान किये गये एवं इसकी अवलिम्ब पालना करने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को अनिवार्य रूप से पाबंद किया था एवं अपीलान्टस् की भूमि की विषयवस्तु परिपत्र की मंशा के अनुरूप समान प्रकृति की होने के बावजूद भी रेकर्ड दुरूस्ती नहीं की जा रही है, इस कारण अंतिम रूप से अपीलान्टस् को न्यायालय की शरण लेनी पडी है एवं अपीलान्टस् अपील मीमों के साथ संलग्न नक्शे में मार्क एबीसीडी कब्जे वाले भू–भाग पर रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का हकदार है एवं उक्त भूमि के अलावा अपीलान्टस् के पास अन्य कोई भूमि नहीं है जिसकी रेस्पोडेन्ट जांच करने हेतु स्वतंत्र है एवं अपीलान्ट्स का उनके पिता के जीवनकाल से पिछले करीब 60 वर्षो से निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है। खेत के चारों तरफ मजबूत कांटो की बाड की हुई है एवं प्रवेश स्थान पर लोहे की फाटक लगी हुई है। अंत में निवेदन किया कि अपीलान्टस् की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर का निर्णय दिनांक 01.09.2021 को अपास्त किया जाकर मौजा जालोर ए के वर्तमान खसरा नम्बर 1777 के भूमि में अपील के साथ संलग्न नक्शा शैड्यूल 'अ' में मार्क एबीसीडी कब्जे वाले भू–भाग की भूमि रकबा 0.96 हैक्टर का अपीलान्ट्स को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने के तहसीलदार आहोर को आदेश प्रदान करावें।

इसके बाद विद्ववान अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट्स भूमिहीन व्यक्ति है एवं अपीलान्ट्स के पिता को आवंटन आदेश के तहत 6 बीघा भूमि आवंटित हुई थी लेकिन अपीलान्टस् के पिता कम पढे लिखे होने से एवं रेकर्ड तथा मौके का ज्ञान नहीं होने के कारण आवेदन पत्र में भूलवश पडौसी खसरा नम्बर 1773 का अंकन कर दिया वास्तव में खसरा नम्बर 1773 की किस्म भाखर है एवं भाखर पर किसी भी प्रकार की काश्त करना संभव नहीं होता है, इससे भी यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि अपीलान्टस् का कब्जा भाकर के सस्पर्श पुराने खसरा नम्बर 1771 पर था, जिसके नवीन खसरा नम्बर 1777 बने है। इस संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा पूर्व में जांच कर भी इन तथ्यों की पुष्टि की थी एवं वर्तमान में मौके पर शान्तिपूर्वक अपीलान्टस का कब्जा काश्त है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आवंटित सुदा भूमि को वर्तमान कब्जे वाले स्थान पर मर्ज करवाकर अपीलान्टस् केवल मात्र रेकर्ड दुरूस्त करवाना चाहते है एवं इस हेतु प्रशासनिक अधिकारीयों के कई बार फरीयाद पेश करने के बाद भी रेकर्ड शुद्वि की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी हेमराज बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 14.01.2021 को अपने निर्णय नजीर में यह स्पष्ट किया है कि आवंटन आदेश में गलत खसरा नम्बर दर्ज होने के आधार पर आवंटी को काबिज़ भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता एवं उपरोक्त भूमि को आवंटी के काबिज वाले स्थान पर रेक्टीफाई करते हुए दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये है, जो कि डीएनजे 2021(1) रेवन्यु के पेज संख्या 247 से साबित है। इस कारण श्रीमान न्यायालय को रेकर्ड दुरूस्ती की व्यापक शक्तियां प्रदत होने के कारण अपीलान्टस् को मजबूरन न्यायालय हाजा की शरण में आना पडा है।

इसके बाद रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलान्टस् का मौके पर कब्जा होने के संबंध में पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही अपील मीमों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है एवं आवंटन आदेश जारी हुये करीब 55 वर्ष का लम्बा समय हो गया है इस कारण अपीलान्टस का दावा कालबाधित हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अन्त में निवेदन किया कि अपीलान्टस् की अपील खारीज फरमाई जावें। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अध्ययन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित वाद पत्र की प्रतिलिपि एवं निर्णय का भी गहन अनुशीलन किया गया, जिससे यह तथ्य स्पष्ट रूप से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से साबित है कि अपीलान्टस के पिता यासीन खां के नाम से तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा मौजा जालोर के पुराने खसरा नम्बर 1773 में 6 बीधा भूमि दिनांक 06.05.1965 को आवंटित की थी एवं पुराना खसरा नम्बर 1773 की किस्म गै.मु. भाकर दर्ज है एवं गैर मुमकिन भाकर में किसी भी प्रकार से काश्त करना संभव नहीं होता है एवं मिलान क्षैत्रफल अनुसार पुराने खसरा नम्बर 1773 के नवीन खसरा नम्बर 1779 (भाकर) बने है एवं अपील मीमों के साथ संलग्न नक्शा अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1779 के सस्पर्श वर्तमान खसरा नम्बर 1777 किस्म गै.मु. बारानी सोयम (सिवाय चक) दर्ज है एवं अपीलान्टस् द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 1777 में नक्शा शैड्यूल 'अ' में मार्क एबीसीडी भू–भाग पर अपीलान्टस् का कब्जा काश्त बताया है जिसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज एवं मौके आलामात के फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किये है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है कि आवंटी को भूलवश आवंटन आदेश में गलत खसरा नम्बर का अंकन दर्ज हो गया था। वास्तव में आवंटन से लगाय आज दिन तक आवंटी एवं उनके वारीसान का कब्जा लगातार वर्तमान खसरा नम्बर 1777 में चला आ रहा है। इस प्रकार केवल मात्र तकनीकी त्रुटि के कारण किसी व्यक्ति को उनके खातेदारी अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता है।

इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा उसके समक्ष कृषक आवंटियों की इस प्रकार की गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया। उक्त नीतिगत निर्णय उपरान्त आवंटित कृषि भूमि एवं वास्तविक कब्जे तथा आवंटन में विसंगतियां आने पर समस्त जिला कलेक्टर को राजस्व ग्रुप विभाग द्वारा क्रमांक/33/राज./4/26 दिनांक 20.12.1987 को परिपत्र जारी किया गया। इस संबंध में माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा भी अपील संख्या 42/2002 में दिये गये निर्णय दिनांक 24/03/2005 में भी परिपत्र की मंशा अनुसार एवं साथ ही अपीलान्ट के कब्जा काश्त के प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से भी यह पुष्टि की गई थी कि अपीलान्ट का कब्जा साबिक खसरा नम्बर 1771 की भूमि पर था जिसके नवीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खसरा नम्बर 1771 बने है, साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक जालोर की मौके एवं रेकर्ड की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.08.2014 अनुसार भी मौके एवं कब्जे की विसंगती को स्पष्ट किया है। आवंटी का आवंटन से पूर्व से ही कब्जा काश्त खसरा नम्बर 1771 में ही था। आवंटन के समय आवंटी कम पढे लिखे होने एवं उसे खसरा नम्बर एवं रेकर्ड का सही ज्ञान नहीं था जिस कारण आवंटन प्रार्थना पत्र में गैर मुमकिन भाकर के खसरा नम्बर अंकित कर दिये जबकि बरवक्त आवंटन अधिकारी को भी यह ध्यान रखना था कि खसरा नम्बर 1773 जो कि गै.मु.भाकर है उस पर कब्जा काश्त ही नहीं हो सकता है। जबकि आवंटी का आवंटन से पूर्व खसरा नम्बर 1771 (हाल खसरा नम्बर 1777) किस्म बारानी सोयम है पर कब्जा काश्त था।

इसके संबंध में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा ऐसी विसंगतियों के समाधान के लिए जारी परिपत्र दिनांक 20.11.1987 की मंशा सुस्पष्ट है जिसमें स्पष्ट रूप से समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश प्रदान किये गये थे कि कब्जे एवं खसरा नम्बर में विसंगति होने की स्थिति में कब्जाधारक खातेदार को होने वाली परेशानियों से बचने के लिए उक्त भूमि को कब्जे वाले स्थान पर समायोजित (मर्ज) करना चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण समान प्रकृति एवं परिपत्र की मंशा के अनुकूल होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अकारण रेकर्ड दुरूस्ती की कार्यवाही पिछले लम्बे अर्से से नहीं की जाकर अपीलान्टस् को उनके खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अपीलान्टस् को न्यायालय हाजा की विन्रम राय में रेकर्ड दुरूस्ती के विधिक अधिकार प्राप्त होने से अपील पोषणीय होने से स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलान्टस् की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर के राजस्व दावा संख्या 71/2021 अनवान खेतू खां बनाम सरकार में पारित में निर्णय दिनांक 01.09.2021 को अपास्त किया जाता है एवं अपील मीमों, लिखित, मौखिक बहस के कथनों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के विवेचन तथा विधि के अनुशीलन अनुसार अतः राज्य सरकार के परिपत्र, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर के निर्णय दिनांक 24.03.2005 तथा भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका एवं रिपोर्ट दिनांक 17.08.2014 जो कि इस निर्णय के अभिन्न अंग रहेंगे, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पूर्व में ही गरीब एवं अनपढ आवंटी की गंभीर समस्या का समाधान करके रेकर्ड को दुरूस्त कर देना चाहिए था। अतः आवंटी की इस गंभीर समस्या एवं विसंगती का समाधान राज्य सरकार के परिपत्र की मंशा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय तथा भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका एवं रेकर्ड की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1773 (गै.मु.भाकर) की बजाय खसरा नम्बर 1771 के नवीन खसरा नम्बर 1777 के रूप में रिकॉर्ड एवं आवंटन आदेश में दुरूस्त किया जाता है। एवं रेस्पोडेण्ट को आदेशित किया जाता कि मौजा जालोर–ए के पुराने खसरा नम्बर 1773 में आवंटित भूमि रकबा 6 बीधा को मौजा जालोर–ए के वर्तमान खसरा नम्बर 1777 रकबा 0.96 हैक्टर की भूमि में रेक्टीफाई करते हुए (मौके पर अपीलाण्ट के उसके कब्जे काश्त) वाले भू–भाग को अपीलान्टस के आवंटन आदेश मे उपरोक्तानुसार दुरस्त (रेक्टीफाइ) किया जाता है तथा तदानुसार राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त करते हुए राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि एवं इन्द्राज करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली
14/09/2021